(GI-1, GI-2, GI-3, GI-4, VI-1 & SI-1)

DATE: 21.09.2019 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

Answer 1:

(1) **Ans. c**
(2) **Ans. d**
(3) **Ans. a**
(4) **Ans. c**
(5) **Ans. d**
(6) **Ans. c**
(7) **Ans. a**
(8) **Ans. c**
(9) **Ans. b**
(10) **Ans. b**
(11) **Ans. c**
(12) **Ans. d**

{1 M Each}

(13) **Ans. d**
(14) **Ans. d**
(15) **Ans. c**
(16) **Ans. d**
(17) **Ans. d**
(18) **Ans. d**
(19) **Ans. a**
(20) **Ans. c**
(21) **Ans. d**

{2 M Each}

Answer 2:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कम्पनी जिसने प्रविवरण जारी करके जनता से धनराशि प्राप्त की है, और अभी तक उस धन राशि का प्रयोग नहीं किया, वह अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक कि कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित न कर दें तथा

(i) प्रस्ताव से संबंधित जानकारी कम्पनी को एक अंग्रेजी अखबार तथा एक स्थानीय भाषा के अखबार में छपवानी होगी जो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की जगह पर चलता है और साथ में कम्पनी के वेबसाईट पर भी अपलोड करनी होगी जिसमें परिवर्तन करने का कारण बताया हुआ रहेगा।

(ii) असहमत अंशधारियों को सेबी के दिशा निर्देशानुसार निकासी प्रस्ताव देना पड़ेगा।

{3 M}

कम्पनी को विशेष प्रस्ताव के प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी पड़ेगी, और वह भी 30 दिन के अंदर तभी यह परिवर्तन प्रभावी माना जायेगा, जब पंजीकार प्रमाण पत्र हमें दे देगा। **{1 M}**

उपरोक्त प्रावधानों को आधार बनाते हुए हम कह सकते हैं कि कम्पनी उपरोक्त बताई गई आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो वह अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(b) यदि ऋणदाता प्रतिभू की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन कर लेता है तो प्रतिभू अनुबंध की तिथि के बाद होने वाले व्यवहारों के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

इस विवाद में Y, X द्वारा पहले 9 माह के दौरान किए गए गबन के लिए उत्तरदायी है तथा 9 माह के बाद के गबन के लिए, जब से उसका वेतन कम कर दिया गया था, वह उत्तरदायी नहीं है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133)। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) अंशों का आवंटन (Allotment of Shares)- कम्पनी न्यूनतम अभिदान जो कि प्रविवरण में उल्लिखित है उसका 80 प्रतिशत प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार कम्पनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 39(1) की अवहेलना करते हुए आवंटन किया है। धारा 39(1) के अनुसार कम्पनी जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। **{2 M}**

धारा 39(3) के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि (न्यूनतम अभिदान का 80 प्रतिशत) को आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।

इसलिए वर्तमान केस में X का यह अधिकार है कि वह प्रतिभूतियों के आवंटन को मना कर सकते हैं जो कम्पनी द्वारा अवैध रूप से किया गया है। **{2 M}**

Answer 3:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 19 के अनुसार एक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी में ना तो स्वंय और ना ही अपने नामांकिती के जरिये किसी प्रकार का अंश धारण करेगी। यदि सूत्रधारी कंपनी किसी प्रकार का अंश सहायक कंपनी को आवंटित करती है तो इस तरह का आवंटन और साथ ही साथ हस्तांतरण वैध नहीं माना जायेगा। इस नियम के निम्नलिखित 3 अपवाद हैः– **{$2^{1/2}$ M}**

(a) यदि सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी के मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अंश धारित करती है।

(b) यदि सहायक कंपनी न्यासी के रूप में सूत्रधारी कंपनी के अंश धारित करती है।

(c) यदि सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले से अंश ले रखे हैं परन्तु इस संबंध में उसको किसी प्रकार के मताधिकार नहीं मिलेगें।

उपरोक्त दशा में सूत्रधारी कंपनी के एक अंशधारी ने अपने अंश न्यासी को स्थानांतरित कर दिये है, और सहायक कम्पनी न्यासी के रूप में अंश धारित कर रही है। अर्थात् सहायक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंश न्यासी के रूप में धारित कर रही है। **{$1^{1/2}$ M}**

इसलिये यहां पर कंपनी एस अपनी सूत्रधारी कंपनी एच के अंश धारित कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(b) प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 150 पर आधारित है। इसके अनुसार यदि निक्षेप किराये पर है तो निक्षेपक ज्ञात अथवा अज्ञात, दोनों प्रकार के दोषों के लिए उत्तरदायी है। **{3 M}**

अतः उपर्युक्त प्रावधानों को दिये गये प्रश्न में लागू करने से B, A को चोट लगने के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए दायी है। **{2 M}**

Answer:

(c) (1) सुरक्षित निक्षेपों को आमंत्रित कर रही धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी या कोई पात्र कम्पनी परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित नहीं करेगी जब तक कि कम्पनी निक्षेपों की सुरक्षा सृजन के लिए निक्षेपकर्ताओं के लिए एक या एक से अधिक संरक्षक नियुक्त नहीं कर लेती है। **{1 M}**

बशर्ते निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक से उनकी नियुक्ति से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी और एक विवरण परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इस प्रभाव के लिए उचित महत्व के साथ की निक्षेपकर्ताओं के लिए संरक्षक ने कम्पनी को अपनी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है दिखाई देगा।

(2) कम्पनी को परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र निर्गमित करने के कम–से–कम सात दिन पहले प्रारूप DPT-2 में निक्षेप न्यास विलेख निष्पादित करना होगा।

(3) न्यासिताएँ की सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में मौजूद किसी कम्पनी सहित कोई भी व्यक्ति निक्षेपकर्ताओं के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि प्रस्तावित न्यासि–

(a) कम्पनी या उसकी होल्डिंग सहायक या सहयोगी कम्पनी का निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी है या कम्पनी में निक्षेपकर्ता है,

(b) कम्पनी या इसकी सहायक या इसकी होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी की ऋण है, **{2 M}**

(c) कम्पनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध है,

(d) ने निक्षेप या उसकी ब्याज से सुरक्षित प्रमुख ऋणों के संबंध में किसी भी गारंटी प्रबंध में प्रवेश किया है।

(e) उपर्युक्त धारा (a) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित है।

(4) बोर्ड की सभा में मौजूद सभी निर्देशकों की सहमति के अतिरिक्त, परिपत्र या विज्ञापन निर्गमित होने के बाद और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, निक्षेपकर्ताओं के लिए किसी भी न्यासी को कार्यालय से नहीं निकाला जायेगा। **{1 M}**

बशर्ते कि यदि कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों के होने की आवश्यकता है, तो बोर्ड में कम–से–कम एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहेंगे।

Answer 4:

(a) ''आवंटन'' का अर्थ किसी कम्पनी के पहले गैर–विनियोगित पूँजी में से निश्चित संख्या में व्यक्ति को अंशों को विनियोग करना है।

(1) किसी कम्पनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हुआ हो, और ऐसी राशि की आवेदन पर देय राशि का भुगतान चेक अथवा अन्य प्रपत्र द्वारा होकर कम्पनी को प्राप्त हो चुका है। **{$2^{1/2}$ M}**

(2) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए आवेदन पर देय राशि नामांकित राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अथवा ऐसी अन्य प्रतिशत अथवा राशि जिसे SEBI द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(3) यदि उल्लिखित न्यूनतम राशि का, अभिदान नहीं हुआ है और प्रविवरण की तिथि से तीस दिन के अन्दर या अन्य ऐसी अवधि जिसे प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के अन्दर आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, तब उप धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त राशि उतने समय के अंदर वापस कर दी जायेगी जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(4) आवंटन विवरणी का दाखिला–जब भी कोई अंशपूंजी वाली कम्पनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है, उसे निर्धारित विधि से रजिस्ट्रार को आवंटन विवरणी दाखिल करनी होगी। **{$2^{1/2}$ M}**

(5) प्रावधानों की अवहेलना पर अर्थदण्ड–अवहेलना की स्थित में कम्पनी और उसका प्रत्येक दोषी अधिकारी, प्रत्येक त्रुटि के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की दर से त्रुटि की अवधि के लिए अर्थदण्ड, या रुपये एक लाख जो भी कम है अधिरोपित किया जायेगा।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 84 के अनुसार प्रधान तथा तीसरे पक्ष के बीच एक अवयस्क भी एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क एजेन्ट को प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। **{$2^{1/2}$ M}**

यदि अनुबंध के अयोग्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रधान तीसरे पक्ष के प्रति दायी होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

इस प्रकार दिये गये प्रश्न में D को घड़ी का अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। M, A के प्रति अपनी गलती अथवा असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं है। **{1 M}**

Answer:

(c) भ्रम और मिश्रण से बचने के लिए, प्रस्तावों को अलग–अलग प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि, कुछ भी अवैध नहीं है यदि सभी के अध्यक्ष इच्छा करते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रस्तावों को साथ में प्रस्तावित किया जाना चाहिए जब तक कि कोई भी सदस्य मांग नहीं करता कि प्रत्येक प्रस्ताव को मतदान के लिए अलग से रखना चाहिए या जब तक कि किसी के संबंध में मतदान की मांग नहीं की जाती है। **{2 M}**

एक मात्र ऐसा मामला जहॉ प्रस्ताव को अलग से प्रस्तावित कराया जाना चाहिए वह है कि जिसकी आवश्यकता है कि सार्वजनिक या प्राईवेट कम्पनी की आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जहॉ दो या दो से अधिक निदेशकों का एक प्रस्ताव के द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।
जहॉ कई प्रस्तावों का नोटिस दिया गया है, प्रत्येक प्रस्ताव को अलग से रखा जायेगा हालांकि यदि सभा सभी प्रस्तावों को सर्वसहमति से स्वीकार करती है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। **{2 M}**
उपरोक्त दशा में सभी व्यवसायों को एक साथ सम्पादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो व्यवसाय निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित है, जिन्हें प्रथक प्रस्ताव पारित करके पास किया जायेगा। अन्य 7 व्यवसाय सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव द्वारा पारित किये जा सकते हैं।

Answer 5:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार यदि निम्नलिखित शर्ते पूर्ण होती है, तभी एक कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय कर सकती है :

(a) अंशों का पुनः क्रय पार्षद अर्न्तनियम द्वारा अधिकृत होना चाहिये,

(b) कंपनी को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, सिवाये वहां, जहां :

(i) पुनः क्रय किये जाने वाली अंश पूंजी कुल अंश पूंजी तथा फ्री रिजर्व के योग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है एवं पुनः क्रय कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत है। **{2 M}**

जिस दिन विशेष प्रस्ताव या बोर्ड प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके 1 वर्ष के भीतर अंशों का पुनः क्रय पूरा हो जाना चाहिये।
पुनः क्रय करने के पश्चात् ऋण समता अनुपात दो अनुपात एक से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस दशा में कंपनी की कुल अंशूपंजी तथा स्वतंत्र संचय का योग 50,00,000/– है और कंपनी 4,50,000/– रुपये की अंशपूंजी खरीदना चाहती है।

उपरोक्त प्रावधानों को आधार बनाते हुए उत्तर इस प्रकार है :

(1) नहीं, विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनः क्रय की जाने वाली अंश पूंजी की राशि कुल अंश पूंजी तथा मुक्त संचय के योग के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिये केवल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करना ही आवश्यक है। **{1 M}**

(2) उपरोक्त पुनः क्रय बोर्ड प्रस्ताव पारित होने के 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिये। **{1 M}**

(3) पुनः क्रय करने के पश्चात् कंपनी का ऋण समता अनुपात 2 अनुपात 1 से अधिक नहीं होना चाहिये । **{1 M}**

उपरोक्त पुनः क्रय तभी संभव है जब कंपनी के अर्न्तनियम पुनः क्रय को अधिकृत करते हैं।

Answer:

(b) उस चैक का भुगतान करने वाला बैंक उस दायित्व से मुक्त है यद्यपि उस चैक पर किया अनुमोदन कपटपूर्ण था ऐसा इसलिए है कि बैंक को यह वैधानिक सुरक्षा विशेष रूप से परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 85(1) में प्रदान की गई है। **{3 M}**

दूसरे दृष्टांत में जहॉ पर चैक जारीकर्ता हस्ताक्षर जाली और कपटपूर्ण है। बैंक वास्तविक चैक जारीकर्ता के प्रति उत्तरदायी है यद्यपि उसने वह भुगतान यथाविधि धारक को किया है और बैंक के द्वारा किया गया भुगतान वास्तविक चैक जारीकर्ता के खाते में से नहीं काटा जा सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषणा से पहले कंपनी लाभ के उस प्रतिशत को रिजर्व में हस्तांतरित कर सकती है, जो कंपनी सही समझे। इसलिये लाभांश घोषित करने से पहले कंपनी लाभ के उस प्रतिशत को रिजर्व में हस्तांतरित करेगी जितना कंपनी उचित समझेगी। इस तरह का हस्तांतरण आवश्यक नहीं है और लाभ का कितना प्रतिशत रिजर्व में हस्तांतरित किया जायेगा, यह कंपनी के विवेक पर निर्भर करेगा। **{2 M}**

उपरोक्त दशा में YZ Ltd ने 910 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कमाये हैं। कंपनी 10 प्रतिशत लाभांश देना चाहती है, परन्तु लाभ का कोई भी हिस्सा अपने रिजर्व में हस्तांतरित नहीं करना चाहती। **{1 M}**

उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा रिजर्व में हस्तांतरित किया जायेगा, यह YZ Ltd के निर्णय पर निर्भर करेगा। **{1 M}**

Answer 6:

(a) कंपनी अधिनियम 114 की धारा के अनुसार एक विशेष प्रस्ताव वैध रूप से तब पारित हुआ माना जायेगा, जब निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हो जायें :

(1) प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित होगा यह बात सभा के नोटिस में दर्शानी होगी।
(2) सभा का नोटिस उचित रूप से सदस्यों को दे दिया जाना चाहिये।
(3) प्रस्ताव के पक्ष में आये हुए मत विपक्ष में आये हुए मतो का कम से कम तीन गुना होने चाहिये।

{$2^{1/2}$ M}

जो सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं तथा जिन्होंने वोट नहीं किया है तथा अवैध मतो को कुल मतों में शामिल नहीं किया जायेगा। **{$1^{1/2}$ M}**

उपरोक्त दशा में प्रस्ताव के पक्ष में 20 मत आये हैं जबकि विपक्ष में 5 मत आये हैं और हम मानते हैं कि धारा 114 की बाकी शर्तें पूर्ण हो गयी, इसलिये सभा के अध्यक्ष का निर्णय सही है। **{1 M}**

Answer:

(b) जहां किसी भी केंद्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा, तत्काल लागू करने के लिए नहीं है, पासिंग पर एक शक्ति प्रदान की जाती है नियमों या उप–नियमों को बनाने या अधिनियम या विनियमन के आवेदन के संबंध में या किसी न्यायालय की स्थापना के संबंध में या किसी भी न्यायाधीश या उसके अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति या उस व्यक्ति के संबंध में आदेश जारी करने के लिए या उस समय पर या उस जगह पर या जिस तरीके से या फीस के लिय कुछ भी अधिनियम या विनियमन के तहत् किया जाता है, तो उस कानून का पालन अधिनियम या नियमन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, **{3 M}**

लेकिन नियम, उप नियम या आदेश जो इस प्रकार किए गए या जारी किए गए है वे अधिनियम या नियमन के प्रारम्भ तक प्रभावी नहीं होंगे। **{2 M}**

Answer:

(c) निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन में बताया जायेगा :

(1) वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण प्रस्थानों के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ–साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था, **{1 M}**

(2) निदेशकों ने उक्त लेखा नीतियों का चयन किया है, एवं उन्हें लगातार लागू किया है तथा उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान किए है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ–हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्रण किया जा सके, **{1 M}**

(3) निदेशकों ने कम्पनी के सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त ख्याल रखा था, **{1/2 M}**

(4) निदेशकों ने चल रहे मामले के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे, तथा **{1/2 M}**

(5) एक सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में, निदेशकों ने कम्पनी द्वारा पालन किए जाने हेतु आन्तरित वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए है और ऐसे आतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। **{1/2 M}**

यहॉ शब्द आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से अभिप्रेत है, जिसमें कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उसकी रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा विश्वसनीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

(6) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियॉ तैयार की थी तथा उक्त प्रणालियॉ पर्याप्त थी एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी। **{1/2 M}**

Answer 7:

(a) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार सरकारी कंपनियों की दशा में प्रथम अंकेक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के निगमन के 60 दिन के भीतर किया जायेगा, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिनों में कंपनी का निदेशक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, और वह भी यदि नियुक्ति नहीं कर पाता है तो वह सदस्यों को सूचित करेगा, और सदस्य असाधारण साधारण सभा में 60 दिनों के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगें और उसका कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा की समाप्ति तक होगा। **{2 M}**

पश्चात्वर्ती अंकेक्षक की दशा में भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वित्त वर्ष शुरू होने के 180 दिन के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसका अगली वार्षिक साधारण सभा तक कंपनी में कार्यकाल रहेगा । **{1 M}**

(ii) यदि अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ती हो जाती है तो निदेशक मंडल 30 दिन के भीतर उसकी उसकी रिक्ती को भरेगा और नया अंकेक्षक का कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक होगा, परन्तु निदेशक मंडल को 3 महीने के भीतर अर्थात् अंकेक्षक की नियुक्ति की 3 महीने के भीतर सदस्यों की साधारण सभा में उनसे सहमति भी लेनी पड़ेगी। **{2 M}**

Answer:

(b) प्रस्तावना अधिनियम के क्षेत्र, लक्ष्य तथा उद्देश्य को लांग टाइटल की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करती है। प्रस्तावना में किसी संविधि की पृष्ठभूमि, निर्माण का कारण तथा जिस बुराई के उपचार के लिए इसे निर्मित किया गया, उस बुराई का वर्णन हो सकता है।

लांग टाइटल की भॉति किसी संविधि की प्रस्तावना उस अधिनियमन का एक अंग है और विधिसम्मत ढंग से इसके अभिप्राय में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर भी, प्रस्तावना अधिनियम के सामान्य प्रावधान का अधिरोहण नहीं करती है बल्कि यदि संविधि की शब्दावली उसके उचित निर्माण के विरूद्ध संदेह उत्पन्न करती है, जैसे जहॉ शब्द अथवा वाक्यांश के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और संदेह उत्पन्न होता है कि अधिनियम के उद्देश्य में कौन–सा अर्थ उचित होगा, तो उचित निर्माण तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावना का संदर्भ लिया जा सकता है। **{$2^{1/2}$ M}**

संक्षेप में, किसी अधिनियम की प्रस्तावना विधानमण्डल के प्राथमिक उद्देश्य को प्रकटन करती है किन्तु यदि संविधि की भाषा स्पष्ट नहीं है तो केवल निर्माण की सहायता के लिए इसे शामिल किया जा सकता है। फिर भी, यह अधिनियम के प्रावधानों का अधिरोहण नहीं कर सकती है।

किसी प्रॉविजों का सामान्य कार्य अधिनियमन से किसी चीज को छोड़ना अथवा यदि वहॉ प्रॉविजो नहीं है तो अपनी परिधि में अधिनियमन में कथित किसी बात को परिमित करना होता है। प्रॉविजों का प्रभाव उस पूर्ववर्ती अधिनियमन को परिमित करना है जिसे अत्यन्त सामान्य पदों में व्यक्त किया जाता है। सामान्य नियम के रूप में प्रॉविजो किसी अधिनियमन में उसे परिमित करने के लिए संयोजित किया जाता है अथवा उस अधिनियमतन में उपस्थित किसी कथन का कोई अपवाद सृजित करता है : सामान्यतः प्रॉविजों को एक सामान्य नियम के कथन के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

व्याख्या का यह एक बुनियादी नियम है कि किसी संविधि का कोई विशिष्ट प्रॉविजो केवल उस क्षेत्र तक प्रभावी होता है जिसे मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया जाता है। यह उस प्रमुख प्रावधान के लिए अपवाद निकालता है जिसके लिए इसे प्रॉविजो के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। (राम नारायण सन्स लि. बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, एआईआर 1955 एससी 765)।

Answer:

(c) सामान्य वर्ग अधिनियम 1897 के अनुसार अचल सम्पत्ति में शामिल है :

(1) भूमि
(2) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ
(3) भूमि से जुड़ी हुई चीजें
(4) भूमि से जुड़ी हुई चीजों के साथ स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें।

{2 M}

यह केवल 4 तत्वों को शामिल करता है, इसलिये इस दशा में X ने जो लकड़ी Y को बेची है, वह उपरोक्त परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिये वह अचल सम्पत्ति नहीं है, जबकि चल सम्पत्ति है, परन्तु भूमि यहां पर अचल सम्पत्त्ति है, क्योंकि वह अचल सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। **{2 M}**

***